जीएम फूड एंट्री पर लगेगा बैन, 3-4 हफ्ते में सरकार को सौंपा जाएगा ड्राफ्टः FSSAI

Aug 14, 2018, 03:31 PM IST

उन्होंने कहा कि अब हम नियमों पर काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा. उन्होंने ये भी कहा कि जीएम फुड का मामला इन दिनों ज्यादा गर्मा रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है.

नई दिल्ली (सुमन अग्रवाल): भारत में जीएम खाद्य पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है और सीएसई की रिपोर्ट के बाद से पूरे देश में FSSAI के नियमों के विरोध में आवाज भी उठने लगी है. क्योंकि FSSAI कहीं ना कहीं भारत में जीएम फुड की एंट्री पर लगाम लगाने में नाकाम रही है और साफ मानती है कि इस फूड पर भारत में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन तमाम विरोध के बाद FSSAI ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए इस पर रेगुलेशन लाने का फैसला कर लिया है. 3-4 हफ्तों में ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा और फिर सरकार को सौंपा जाएगा.

हम नियमों पर काम कर रहे हैं

FSSAI के सीईओ पवन अग्रवाल ये मानते हैं कि जीएम फूड पर शिकंजा कसने में फसाई नाकाम रही है और नियमों में कहीं ना कहीं खामी है. इसलिए ऐसा हो रहा था. उन्होंने कहा कि अब हम नियमों पर काम कर रहे हैं आने वाले

दिनों में ऐसा नहीं होगा. उन्होंने ये भी कहा कि जीएम फुड का मामला इन दिनों ज्यादा गर्मा रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है.

FSSAI की इजाजत के बिना जीएम फसलें उगाने पर प्रतिबंध

गौरतलब है कि सीएसई ने पिछले दिनों 65 खाद्य उत्पादों की जांच की थी. जिनमें सोयाबीन, कॉर्न, रेपसीड और कॉटन सीड पाया जाता है. ये मुख्य जीएम फसले हैं जो विश्वभर में उगाई जाती हैं. सीएसई के मुताबिक एफएसएआई की इजाजत के बिना देश में इन खाद्य पदार्थों का उत्पादन, बिक्री और आयात प्रतिबंधित है. लेकिन इनका बाजार धड़ल्ले से चल रहा है.

65 में से 35 का बाहर से आयात

सीएसई ने टेस्ट करने के लिए इन खाद्य पदार्थों को दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और गुजरात के खुदरा दुकानों से खरीदा था. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिन 65 खाद्य पदार्थों का टेस्ट किया गया है उसमें 35 का बाहर से आयात किया जाता है और 30 का घरेलू रूप से उत्पादन है, जिसमें जीएम फूड पाया गया है.

ZEENEWS हिंदी